Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128-2026/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त, 2026
(30 श्रावण, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का० आ० 43/के० अ० 34/2008/धा० 22/2026, दिनांक 21 अगस्त, 2026– हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 26/के0 अ0 34/2008/धा0 22/2026, दिनांक 23 जून, 2026 में संशोधन करने बारे।	307—308
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 अगस्त, 2026

संख्या का० आ० 43/के० अ० 34/2008/धा० 22/2026.– राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 22 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 26/के0 अ0 34/2008/धा0 22/2026, दिनांक 23 जून, 2026 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 26/के० अ० 34/2008/धा० 22/2026, दिनांक 23 जून, 2026 में, "इसके द्वारा," शब्दों तथा चिह्न के बाद, "जिला नूंह की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 21st August, 2026

No. S.O. 43/C.A.34/2008/S.22/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (Central Act 34 of 2008), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O.26/ C.A.34/2008/S.22/2026, dated the 23rd June, 2026, namely :-

Amendment

In the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 26/C.A. 34/2008/ S.22/2026, dated the 23rd June, 2026, the words "within the territorial jurisdiction of district Nuh" shall be added at the end.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

12801—L.R.—H.G.P., Pkl.